केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)
(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. Of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़/Regional office, Chandigarh
एससीओ/SCO NO. 72-73, सैक्टर 31-ए/SECTOR 31-A, चंडीगढ़/ Chandigarh
Website: https://rochandigarh.kvs.gov.in/
ई मेल/E-Mail : kvsaccschd@gmail.com
फोन/Phone: 0172-2637973 (A/cs)

एफ.16262(30)/ई-पैन्शन/केविसं.(चं.सं.)/2026-27/ 12477-12537 दिनांक :- 16.11.2026

प्राचार्या / प्राचार्य,
समस्त केन्द्रीय विद्यालय,
चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत

केवल ई – मेल

विषय:- **Procedure for uploading of Life Certificate for KVS pensioners getting pension through Indian Bank (for SBI Pensioners, the earlier system will continue) whose pension cases were processed through e-Pension portal - reg.**

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपके संज्ञान में यह लाया जाता है कि इंडियन बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए ई-पेंशन पोर्टल में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र हर साल नवंबर के महीने में इंडियन बैंक (पेंशन संवितरण प्राधिकरण) को जमा करना आवश्यक है। इस संदर्भ में केवीएस (मुख्यालय) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या एफ.110230(e-Pen)/3/2025-केवीएस(मुख्यालय)/पेंशन/8811 दिनांक 09.11.2026 (प्रतिलिपि संलग्न) जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील रहें और आने वाले पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा प्रदान करें।

अत: इस पत्र की एक प्रति पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर "घोषणा" शीर्षक के अंतर्गत अपलोड किया जाए।

IN CASE OF PENSIONER, WHO GOT RETIRED PRIOR TO 01.04.2023 WILL SUBMIT ANNUAL LIFE CERTIFICATE IN SBI THROUGH AVAILABLE MODES.

भवदीय,

16/11/26

(अनुराग भटनागर)
उपायुक्त

संलग्न :- 1. Format of Life Certificate.

वितरण :-

1. सहायक आयुक्त (वित्त), केवीएस (मुख), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. प्रशासनिक अधिकारी, के.वि.सं. (चं.सं.), चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं इस पत्र को केवीएस (क्षे.का.), चंडीगढ़ वेबसाइट पर "घोषणा" शीर्षक के अंतर्गत अपलोड किया जाए।
3. कार्यालय रिकार्ड।